भारत दस रुपये TEN RUPEES INDIA

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक अपील /भू–राजस्व/छतरपुर/2018/.................

अपील - 3088/2018/छतरपुर/भू.रा

प्रभु दयाल श्रीवास वल्द श्री रघुनाथ श्रीवास

निवासी–ज्योराहा तहसील लभकुश नगर

लोड़ी जिला छत्तरपुर ....

अपीलांट

श्री .... द्वारा आज दि. 18-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 7-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 18-5-18

बनाम

1. रामचरण तनय पटुआ अहिरवार,
   निवासी–जौराहा, तहसील लभकुश नगर,
   लोड़ी जिला छतरपुर

2. म.प्र. शासन ....**रेस्पोडेंट**

<u>प्रार्थना पत्र अपील अंतर्गत धारा 44 (2) म.प्र.भू राजस्व संहिता विरूद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग, प्रकरण क्रमांक 595/18 अपील आदेश दिनांक 08.03.2018।</u>

श्रीमानजी,

अपीलांट की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है –

1. यहकि, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर एवं अधीनस्थ विचारण न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर के

2018MAY-94

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील-3088/2018/छतरपुर/भू.रा. प्रभुदयाल विरूद्ध रामचरण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-07-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक श्री प्रभुदयाल के अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया एवं अनावेदक क्रमांक 2 शासन के अभिभाषक श्री राजेश पाठक को पूर्व में दिनांक 04-07-2018 को सुना गया था । 3. ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-03-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । 4. अपर आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक प्रभुदयाल द्वारा शासकीय पट्टे की भूमि का विक्रय किया गया । तहसीलदार के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि शासकीय पट्टे की भूमि है । जिसके आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा उभय पक्षों के सुनने के उपरांत विधिसंगत आदेश पारित किया । उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की गई । साथ ही कलेक्टर को निर्देश दिये कि ग्राम ज्यौरहा स्थित प्रश्नाधीन भूमि पर म.प्र. शासन तत्काल प्रभाव से दर्ज की जावे एवं आवेदक को भूमि बंटन न किया जावे । 5. अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस अपील में नहीं है । फलस्वरूप यह अपील प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य 16.7.18	